

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE
GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Delhi, dt. 21.10.83

NOTIFICATION:
(INCOME TAX)

F.No. **S 430** (F.No.261/14/82-ITJ): In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and all other powers enabling it in this behalf and in partial modification of notification No.4963(F.No.261/14/82-ITJ) dated 10th November 1982, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Appellate Assistant Commissioners of the Ranges specified in column 2 of the Schedule annexed here to shall perform their functions in respect of all the persons and incomes assessed to Income-tax or Super-tax in the Income-tax Circles, wards or districts specified in the corresponding entry in column 3 thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Range	Income-tax	Circles, wards & districts
1.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Patna Range, Patna	1. Special Inv. Circle, Patna 2. Income-tax Circles I & II, Patna 3. Special Estate Duty-cum-Income-tax Circle, Patna 4. Income-tax Circle, Arrah 5. Income-tax Circle, Sasaram 6. Income-tax Circle, Nalanda	
2.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Muzaffarpur Range, Muzaffarpur	1. Income-tax Circle, Muzaffarpur 2. Income-tax Circle, Patihari 3. Income-tax Circle, Bettiah 4. Income-tax Circle, Banastipur 5. Income-tax Circle, Sitamarhi 6. Income-tax Circle, Hazipur	
3.	Appellate Assistant Commissioner of Income-tax, Bhagalpur Range, Bhagalpur	1. Income-tax Circle, Manghyr 2. Income-tax Circle, Bhagalpur 3. Income-tax Circle, Beghar 4. Income-tax Circle, Saharsa 5. Income-tax Circle, Furness 6. Income-tax Circle, Begusarai 7. Income-tax Circle, Katihar 8. Income-tax Circle, Chhapra 9. Income-tax Circle, Darbhanga	


Where an Income-tax Circle, Ward or District or part thereof stands transferred by this Notification from one Range to another Range, appeals arising out of the assessments made in that Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof and pending, immediately before the date of this Notification before the Appellate Assistant Commissioner of the Range from whom the Income-tax Circle, Ward or District or Part thereof is transferred shall from the date this Notification takes effect be transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commissioner of Income-tax of the Range to which the said Circle, Ward or District or part thereof is transferred provided that the above Appellate Jurisdiction shall be over the cases or types of cases to the exclusion of those specifically assigned to the Commissioner of Income-tax (Appeals), Patna.

This notification shall take effect from 15-9-1963.

(KALYAN CHAND)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes.

Re Manager, G.O.I. Press, Daya Puri, New Delhi.
Copy to:-

1. The Commissioner of Income-tax, Patna
2. The Commissioner of Income-tax, Ranchi
3. The Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay
4. The A.D.I. (RS & P) Bulletin, New Delhi.
5. A.D.VI Section/CS Section
6. The Joint Secretary and Legal Adviser, Ministry of Law, Shastri Bhavan, New Delhi.


(KALYAN CHAND)
Under Secretary
Central Board of Direct Taxes.

भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3(i) में प्रकाशनाय

भारत सरकार

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

(आयकर)

नई दिल्ली, दिनांक 22.10.83

सं. 5430 (प्रासं. 261/14/82-आयकर न्या.)। आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 122 की उप-धारा और (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस सम्बंध में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकार देने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आ करों 10 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना सं. 4963 (प्रासं. 261/14/82-आयकर न्या.) में अधिकारीकरण करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड स्तम्भद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेंजों के अधीनस्थ आयकर आयुक्त, उक्त अनुसूची के स्तम्भ 3 की तर्जबंदी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट आयकर परिमंडलों, बाहरी अथवा जिलों में उन सभी शक्तियों और आयदायियों के संबंध में अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे जिन पर आयकर अथवा अधिकार लगाया जाता है।

अनुसूची

क्र.सं.	रेंज	आयकर परिमंडल/वार्ड व जिले
1.	अधीनस्थ आयकर आयुक्त, पटना रेंज, पटना।	1. विशेष जांच परिमंडल, पटना।
		2. आयकर परिमंडल I व II, पटना।
		3. विशेष सम्पदा शुल्क एवं आयकर परिमंडल, पटना।
		4. आयकर परिमंडल, आरा।
		5. आयकर परिमंडल, सासाराम।
		6. आयकर परिमंडल, नातनवा।

(क०प०30)

1	2	3
2.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, मुजफ्फरपुर रेंज, मुजफ्फरपुर ।	1. आयकर परिमंडल, मुजफ्फरपुर । 2. आयकर परिमंडल, मोतिशरी । 3. आयकर परिमंडल, बेतिया । 4. आयकर परिमंडल, रामस्तीपुर । 5. आयकर परिमंडल, सीतामढ़ी । 6. आयकर परिमंडल, डानीपुर ।
3.	अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त, बागलपुर रेंज, बागलपुर ।	1. आयकर परिमंडल, मुंगेर । 2. आयकर परिमंडल, बागलपुर । 3. आयकर परिमंडल, शेखगढ़ । 4. आयकर परिमंडल, सहरसा । 5. आयकर परिमंडल, पूर्णिया । 6. आयकर परिमंडल, बेगूसराय । 7. आयकर परिमंडल, कीटहार । 8. आयकर परिमंडल, छारा । 9. आयकर परिमंडल, बरौंगा ।

जहां कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अंतर्भूत कर दिया गया हो, वहां उस आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिले अथवा उसके किसी भाग में किए गए कर - निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के समस्त विचारणीय पड़ी अमीतों, जिसके अधिकार क्षेत्र से आयकर परिमंडल वार्ड अथवा जिले को अथवा उसका कोई भाग अंतर्भूत किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त को

अंतरिक्ष की जाएगी और, उसके द्वारा निपटारा जाएगी जिसके अधिकार -
क्षेत्र में उक्त परिमण्डल, यार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग अंतरिक्ष
विद्यमान गया हो, खाते कि उक्त अपीलीय क्षेत्रधिकार उन मामलों अथवा
मामलों की क्रियाओं को लागू होगा जिनमें वे मामले शामिल नहीं होंगे जो विशेष
रूप से साक्षर साक्षर (अपील), पटना को सौंप दिये गये हैं ।

यह अधिसूचना 13 सितम्बर, 1983 से प्रवर्तनी होगी ।

(कल्याण चन्द)

उपनिर्देशक,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुख्यालय,

मन्यापुरी, लई दिल्ली ।

* सार्वा *
* * *